लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना

2030 तक	
13.1	सभी देशों में जलवायु संबंधी जोखिमों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता तथा उसके अनुकूल बनने की क्षमता को मजबूत करना
13.2	राष्ट्रीय नीतियों, कार्यनीतियों और योजनाओं में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करना।
13.3	जलवाय परिवर्तननवीनीकरण, अनुकूलन, प्रभावउपशमन, तथा शीघ्र चेतावनी संबंधी शिक्षा, जागरूकता वृद्धि और मानवीय तथा सांस्थानिक क्षमता को बढ़ाना
13.4	सार्थक नवीनीकरण कार्रवाई तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता के परिप्रेक्ष्य में तथा अपनी कैपिटालाईजेश के माध्यम से हरित जलवायु निधि को यथाशीघ्र पूर्णतः प्रचालित करने हेतु विकासशील देशों की जरूरतों के समाधान के लिए सभी स्रोतों से 2020 तक वार्षिक रूप से 100 अरब डॉलर जुटाने के लक्ष्य के प्रति विकसित देशों के पक्षों द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेशन में किए गए वायदों का कार्यान्वयन।
13.5	सबसे कम विकसित देशों में और लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों में प्रभावी जलवायु परिवर्तन संबंधी योजनाओ तथा प्रबंधन हेतु क्षमता वृद्धि के लिए उपायों को बढ़ावा देना जिसमें महिलाओं, युवाओं,स्थानीय तथा वंचित समुदायों पर विशेष बल दिया जाना शामिल है।

जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना

राष्ट्रीय योजनाएं एवं गनीतियां

नोडल मंत्रालय. पर्यावरण, वन्य एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

संबंधित हस्तक्षेप	लक्ष्य	अन्य संबंधित मंत्रलय एवं विभाग
1. जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान, 2. हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, 3. नेशनल सोलर मिशन, 4. ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, 5. स्थायी आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन, 6. नेशनल वाटर मिशन, 7. हिमालय ईको सिस्टम के लिए राष्ट्रीय मिशन, 8. स्तत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और 9. जलवायु परिवर्तन के रणनीतिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन	लक्ष्य 13.1	गृह मंत्रालय
	लक्ष्य 13.1	जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
	लक्ष्य 13.1	जलवायु परिवर्तन,वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण
	लक्ष्य 13.1	जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
	लक्ष्य 13.1	जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय

Source: - http://niti.gov.in/writereaddata/files/SDGsV20-Mappingo80616-DG_o.pdf

खामियां और चुनौतियां

जलवायु परिवर्तन देश के लिए खतरनाक संकेत है क्योंकि प्रमाण बता रहे हैं कि भारत में जलवायु के परिवर्तन से प्राकृतिक संसाधनों के वितरण एवं उनकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। इससे गरीब और हाशिए पर रह रहे लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। खासकर उन गरीबों की जिनकी रोजी–रोटी प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी है। ज्यादातर गरीब लोग गांव में रहते हैं और लगभग पूरी तरह वे भोजन और आश्रय के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं।

बढ़ते सूखा और पानी की कमी ने बड़े परिवर्तन करने शुरू कर दिए हैं पानी की कमी की वजह से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेती नहीं हो रही है। लोग कृषि कार्य को छोड़ रहे हैं।

संवैधानिक प्रावधान एवं कानून

- अनुच्छेद 49 क : राज्य वनों एवं वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा, उनकी रक्षा करेगा एवं उनमें सुधार लाने का प्रयत्न करेगा।

प्रासंगिक कानून

1. पर्यावरण सुरक्षा अधिनिय : यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार तथा इससे संबंधित मामलों में सुरक्षा का प्रावधान करता है।
2. वायु प्रदूषण (बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम) 1981: यह अधिनियम वायु प्रदूषण से बचाव, नियंत्रण एवं उसमे कमी लाने हेतुहै। यह उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक बोर्ड की स्थापना करने की बात भी कहता है।
3. वन संरक्षण अधिनियम 1980 : यह अधिनियम वन संरक्षण एवं इससे संबंधित मामलों के लिए है।

जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना

सुझाओ

1. जलवायु परिवर्तन को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में इसे प्रमुख रूप से चिन्हित करें। और इस लक्ष्य में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जागरूकता के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी शिक्षा दी जाए। इस संबंध में उपायों को सफल बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए इसमें जलवायु के प्रभाव के बारे में उदाहरण भी दिए जाएं।

2. सहस्राब्दि विकास लक्ष्य से संबंधित जिनमें इस बात का जिक्र हो किएकैसे विकास लक्ष्य में सफलता मिली या इससे संबंधित सफलता की कहानियों/मामलों को चिन्हित किया जाए।

3. एक अधिनियम बनाया जाए जिसमें यह सूचित किया जाए कि किस तरह शिक्षा प्रणाली जलवायु परिवर्तन के बारे में शिक्षा देकर भविष्य को प्रभावित कर सकती है और इसे स्कूल या कॉलेज के माध्यम से मुख्यधारा में लाया जाए इसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया जाए।

4. अंतर्राष्ट्रीय युवा विनिमय के माध्यम से इस विषय की स्थिरता के लिए तथा जलवायु परिवर्तन के बारे में बताने के लिए युवाओं को लगाना चाहिए।

5. जलवाय परिवर्तन के बारे में राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी बनाई जाए। इसके माध्यम से बहु–क्षेत्रीय जवाबदेही को ग्रहण किया जाना चाहिए जैसे कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की प्रभावी रणनीतियां बनाई गई हैं और उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप प्रबंधन किया गया है।

6. विकासशील देशो में जलवायु संस्थानों के सक्रिय करने के लिए उन्हें वित्त पोषित कर सशक्त करने की आवश्यकता है।

7. इस लक्ष्य के लिए आवश्यक कार्यवाही के कार्यान्वयन के लिए समाज, समुदाय के सदस्यों एवं साझेदारों को जलवायु के बारे में ज्ञान को एकीकृत कर उसका प्रचार–प्रसार करना चाहिए।

8. सहस्राब्दि विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभीमंत्रालयों के बीच तालमेल सुनिश्चित हो।